10/4/17

वकील प्रार्थी द्वारा आपत्ति संख्या 2
RL तामील अनु. रहने पर उसके विरुद्ध
एकतरफा कार्यवाही आगे के लिये जाती
है बहस प्रार्थी के वकील श्री ए.के. सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन अभिलेख का
अवलोकन किया गया इस बहस का मनन
किया गया। मूल वाद के प्रारम्भिक डिक्री
से पूर्ण है अतः अंतिम डिक्री देने का
निर्णय आवश्यक है ₹ 1815 रुपया 0.05 है
के साथ मय पं.व. अ.ड. तहसील
दोगड़ामाफ किया जाता है की मेरा
की सहमति आगे राशि जाती है।
निर्णय फैसला सुनाया है।

उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner